



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार— 249404

Website-www.ukpsc.gov.in

दूरभाष नं0—01334—244143

विज्ञापन संख्या :: 01 / व्यवस्थापक / अधिष्ठान / 2020—21

व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अधिष्ठान, परीक्षा — 2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	18 जनवरी, 2021
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	08 फरवरी, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क — Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	08 फरवरी, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/अनुभव एवं अन्य समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	23 फरवरी, 2021 (सायं 6.00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिलिल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 08 फरवरी, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।

अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार धारित अनुभव, विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षित अर्हता होटल व्यवस्थापन एवं खानपान तकनीक (Hotel Management and Catering Technology) या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (Hospitality and Hotel Administration) में पूर्ण कालिक स्नातक उपाधि प्राप्त होने के पश्चात का होना आवश्यक है। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

(3) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(5) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अहंता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(8) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों के समर्थन में परिशिष्ट-2 में उल्लिखित सूची के अनुसार समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ संलग्नकर सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य है।

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अहंता, अनुभव, अधिमानी अहंता, आरक्षण, स्थाई-निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराया जाता है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(9) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(10) अभ्यर्थी परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-5 का अवलोकन करें।

(11) प्रश्नगत परीक्षा हेतु परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अधिष्ठान, परीक्षा-2021 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 08 फरवरी, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु अभिक्षमता/प्रतियोगिता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जायेगा, जिससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

उक्त परीक्षा का आयोजन परिशिष्ट-1 के अनुसार हल्द्वानी व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु सीमित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उक्त परीक्षा का आयोजन मात्र हरिद्वार नगर में किया जायेगा।

2. रिक्तियों का विवरण : कुल पद-02

क्र. सं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
					महिला	स्व०स०सेनानी आश्रित	पूर्व सैनिक	निःशक्ति (विकलांग)	अनाथ बच्चे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	व्यवस्थापक	श्रेणी-3	अनारक्षित	01	—	—	—	—	—
			अनुसूचित जाति	01	—	—	—	—	—
			अन्य पिछङ्गा वर्ग	—	—	—	—	—	—
			अनु० जनजाति	—	—	—	—	—	—
			आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	—	—	—	—	—	—
			कुल योग—	02	00	00	00	00	00

3. पद का स्वरूप :— अराजपत्रित / समूह (ग)।

4. वेतनमान एवं पेंशन :— लेवल-06 (₹० 35,400—₹० 1,12,400) अंशदायी पेंशनयुक्त।

5. अर्हताएः—

1. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएः—

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल व्यवस्थापन एवं खानपान तकनीक (Hotel Management and Catering Technology) या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (Hospitality and Hotel Administration) में पूर्ण कालिक स्नातक उपाधि तथा,

(दो) अनुभव— पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (Hotel and Restaurant approval and Classification Committee) द्वारा दो या इससे अधिक सितारों (Two Star and above) के साथ वर्गीकृत किए गए होटल अथवा शासकीय/ अर्द्धशासकीय आतिथ्य सत्कार एवं होटल संस्थान में, न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो।

2. अधिमानी अर्हताएः—

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने—

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष तक की अवधि तक सेवा की हो, या,
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” अथवा “सी” प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, या,
- (3) एन०एस०एस० का सी प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

3. व्यवस्थापक समूह—‘ग’ के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता निम्नवत है—

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं यथा संशोधन नियमावली, 2019 में उल्लिखित प्राविधानों एवं विशेष अपील सं0 932/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2018 को पारित निर्णय के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097 /xxx(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।" उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/xxx(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवाएँ सम्मिलित नहीं हैं।

(ii) शासन के पत्रांक 809 /xxx(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

6. आयु :— आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। इस तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।

7. अधिकतम आयु सीमा में छूट:— विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश सं0 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड शारीरिक रूप से विकलांग हेतु अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

8. आरक्षण :—(क) उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29 /xxxvi(3)/2019 /03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य श्रेणी के अंतर्गत) ही आवेदन कर सकेंगे।

(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133 / XXXVI(3)2009/14(1)/2009दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या—124 / XXX(2) / 2019—53(01) / 2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर—8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ लिखित परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(ङ) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(च) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के “परिशिष्ट-6” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों को संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-6” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(छ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(ज) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 415 / XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

09. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बत शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप में बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परंतु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किंतु वह न तो जारी किया गया हो व न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किंतु शर्त यह है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10. चरित्र :— सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रास्थिति :— पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

12. शारीरिक स्वस्थता :— किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे—

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2 भाग 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

परंतु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

13. आवेदन कैसे करें :— इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **Menu Bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पैज़े पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः **Registration** फॉर्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- (4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile No** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (5) **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पर क्लिक कर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह **Intermediate, Graduation, Post Graduation** व अन्य शैक्षिक अर्हता भरें। एक से अधिक **Graduation/Post Graduation** को भरने की स्थिति में भी यही प्रक्रिया अपनाएं। फॉर्म पर अन्य विवरण भरकर **Submit** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Upload Images and Documents** पर क्लिक कर **Photo, Signature** एवं **Documents** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** एवं **Documents** को अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु **Click here to Make Payment** पर क्लिक करें। **I Agree** पर **Tick** करने के पश्चात **Pay Now** पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।
- (6) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट : 1. आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-ID/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात **Update Personal Information** पर क्लिक कर, **Personal Information**, **Update Educational Information** पर क्लिक कर, **Educational Qualification** एवं **Reload Images** पर क्लिक कर, **Photo, Signature** एवं **Documents** को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को **Edit/Update** नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई-मेल कर सकते हैं।

2. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
 3. परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन—पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक पद हेतु 26.55 रुपये है।)
 4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद [Click here for Final Submission](#) बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।
 5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- 14. शुल्क** :— प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :—

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन—शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रु0 150/-	रु0 26.55/-	रु0 176.55/-
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150/-	रु0 26.55/-	रु0 176.55/-
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150/-	रु0 26.55/-	रु0 176.55/-
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रु0 60/-	रु0 26.55/-	रु0 86.55/-
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रु0 60/-	रु0 26.55/-	रु0 86.55/-
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	—

नोट :- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / उत्तराखण्ड महिला / उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा— अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग / श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली–2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (**Scrutiny**) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि व अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी प्रसारित की जायेगी।

(5) अभिक्षमता/प्रतियोगिता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का मूल्यांकन उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम नियमावली–2012 (समय समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त नियमावली आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(6) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत् किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(7) अभिक्षमता/प्रतियोगिता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त् आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(8) चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां उन्होंने शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(10) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(11) परीक्षा के किसी भी स्तर में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाए क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(13) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा।

अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अहं नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(15) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(16) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(17) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(18) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(19) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अहंता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(20) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(21) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(22) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(23) परीक्षा भवन में आचरण :— परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(24) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक(यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(25) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(26) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(27) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(28) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(29) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं प्रथम संशोधन 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(30) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:**— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(31) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :—1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिंगड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवरित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके

विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(32) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण—पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र।

(ख) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या—310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(33) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(34) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(35) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश—पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(36) चयन परिणाम तैयार करने की कार्यवाही सेवा नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

S/d-
(कर्मन्द्र सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट-1

अभिक्षमता / प्रतियोगिता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में किया जाएगा—

क्रम सं०	नगर (जिला)	नगर कोड
1	हल्द्वानी (नैनीताल)	01
2	हरिद्वार (हरिद्वार)	02

नोट— उक्त परीक्षा का आयोजन परिशिष्ट-1 के अनुसार हल्द्वानी व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु सीमित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उक्त परीक्षा का आयोजन मात्र हरिद्वार नगर में किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदनपत्र में किये गये दावे के सापेक्ष निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड-पोस्ट/कोरियर अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर निर्धारित अन्तिम तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य है :—

- 1) हाईस्कूल प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- 2) इंटरमीडिएट प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- 3) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल व्यवस्थापन एवं खानपान तकनीक (Hotel Management and Catering Technology) या आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (Hospitality and Hotel Administration) में पूर्ण कालिक स्नातक उपाधि एवं अंक—तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
- 4) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee) द्वारा दो या इससे अधिक सितारों (Two Star and above) के साथ वर्गीकृत किए गए होटल अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय आतिथ्य सत्कार एवं होटल संस्थान में, न्यूनतम 02 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर)
- 5) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में धारित अनुभव के सम्बन्ध में अंकित किये गये होटल को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति (Hotel and Restaurant Approval and Classification Committee) द्वारा वर्गीकरण(Two Star and above) के सम्बन्ध में प्रदत्त नवीनतम प्रमाण पत्र।
- 6) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण—पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष)।
- 7) आरक्षण एवं रथायी निवास संबंधी प्रमाण—पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष)।
- 8) विज्ञापन के बिन्दु सं0—5(3) में उल्लिखित “समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता” के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण पत्र।
- 9) यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत् है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र (Application) की पावती (Receiving)।
- 10) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
- 11) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट-3

**व्यवस्थापक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अधिष्ठान, परीक्षा-2021 हेतु अभिक्षमता/प्रतियोगिता परीक्षा
(वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)**

अनारक्षित वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :—

क्र.सं.	आरक्षण की श्रेणी	न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45%
2	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%

नोट- सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

Experience Certificate

Name of Institute/Hotel:
 Address of Institute/Hotel:
 Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust/Hotel:
 Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust/Hotel.....
 Telephone No.....
 Website:

Logo of Office
(If available)

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km./Dr. Son/
 Daughter/Wife of shri..... is an employee of this Department/
 Organization/ Company/Firm/ Society /Institution/Trust/Hotel and duties performed by him/her during the
 period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent/ Regular/ Temporary / Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed / experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust/Hotel.

Date :

Place :

Sign

(Signature & Name of Authorized

Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

परिशिष्ट—5

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में व्यवस्थापक (समूह 'ग') के पद के लिए सीधी भर्ती
हेतु अभिक्षमता / प्रतियोगिता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु पाठ्यक्रम

होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी / आतिथ्य एवं होटल प्रशासन तथा सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न—150

अधिकतम अंक—150

समय: 02 घण्टे।

भाग—1

होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी / आतिथ्य एवं होटल प्रशासन

कुल प्रश्न—100

अधिकतम अंक—100

क—खाद्य उत्पादन

कुल प्रश्न—20

अधिकतम अंक—20

1. खाना बनाने का परिचय एवं उसका इतिहास,
2. रसोई विभाग का पदानुक्रम—प्राचीन और आधुनिक।
3. खाना पकाने के लक्ष्य एवं उद्देश्य
4. एच.ए.सी.सी.पी.— खाद्य भण्डारण एवं प्रबन्धन की प्रक्रियाएं।
5. विभिन्न प्रकार के ईंधनों का कैटरिंग उद्योग में प्रयोग तथा रसोई में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग तथा उनका रख—रखाव,
6. खाना पकाने की विभिन्न विधियाँ,
7. विभिन्न प्रकार के स्टॉक, सूप और उनकी सजावट।
8. मौलिक सौसें और उनके व्युत्पन्न।
9. भोजन सामग्रियां— दूध, कीम, चीज, मक्खन, चीनी, नमक, वसा एवं तेल, जड़ी—बूटियां एवं मसाले, दालें, विभिन्न प्रकार के चावल, रेजिंग ऐजेंट तथा थिकनिंग ऐजेंट

10. सलाद तथा सेन्डविच: अवयव, विभिन्न प्रकार की ड्रैसिंग्स, विभिन्न प्रकार के सेन्डविच
11. सब्जी तथा फल पाक—कला— वर्गीकरण, पिंगमेन्ट, रंग परिवर्तन, सब्जियां काटने के विभिन्न ढंग, फलों का पाक—कला में उपयोग।
12. अण्डे की पाक—कला: अण्डे की पाक—कला का परिचय, अण्डे की संरचना, अण्डे का चयन, अण्डे का पाक—कला में उपयोग,
13. माँस की पाक—कला: लेम्ब / मटन के भाग, चिकन के भाग, ऑफल्स, पाक—कला में उपयोग
14. मछली की पाक—कला: मछली का वर्गीकरण, मछली के भाग, मछली एवं शेल—फिश का चयन, मछली पकाने की विधि,
15. रसोई घर की योजना, खाका एवं रसोई की डिजाईन
16. बेकरी का परिचय: बेकरी के सिद्धांत, बेकरी में प्रयोग में आने वाले उपकरण एवं विभिन्न खाद्य सामग्री,
17. ब्रेड, कूकीज, बिस्कुट केक एवं पेस्ट्री, बनाने की विभिन्न विधियां, आवश्यक कच्ची सामग्री, गलतियां एवं उनका सुधार और ब्रेड में बीमारियां,
18. आइसिंग एवं टॉपिंग
19. विभिन्न प्रकार के संगठनों में व्यंजन सूची (मेन्यू) की योजना,
20. भारतीय पाक—कला का परिचय: प्रयोग में आने वाले मसाले, मसाले का मिश्रण, विभिन्न प्रकार की ग्रेवियां, भारतीय मैरिनेडस् एवं पेस्ट,
21. भारतीय क्षेत्रीय पाक कला: भारतीय पाक—कला की विरासत, खाने की आदतों को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौसमी उपलब्धता, विशेष उपकरण, मुख्य आहार, त्यौहारों एवं विशेष आयोजन पर विशेष मेन्यू

राज्य: कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आञ्चलिक पृष्ठभूमि, बंगाल, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पूर्वोत्तर राज्य
22. भारतीय ब्रेड (रोटियां), स्नैक्स एवं मिठाईयां
23. मात्रात्मक भोजन उत्पादन: मात्रात्मक रसोई में आवश्यक उपकरण, देखभाल एवं मरम्मत, मात्रात्मक भोजन उत्पादन की योजना के सिद्धांत, इन्डेन्टिंग
24. वोल्यूम फीडिंग: संस्थान, उद्योग, अस्पताल एवं मोबाइल केटरिंग
25. सॉसेज, हैम, बेकन, गैमॉन, गेल्टिन, फोर्स मीट, पाते, मूसेज, मूजलिन, शॉफ्ट, एस्पिक, जैली, क्वेनल्स, पारफेद एवं रूलाडेस का अर्थ,

26. क्षुधावर्धक एवं गारनिशस्: क्षुधावर्धक का वर्गीकरण, गारनिशस् के विभिन्न प्रकार एवं उनकी उपयोगिता
27. जमें हुये (फोजन डेज़र्ट), मेंरिग्स, चॉकलेट,
28. अन्तर्राष्ट्रीय पाक—कला: क्षेत्रिय प्रभाव के साथ मुख्य आहार, विशेषताएं, रेसिपी, फांस, चीन, इटली, मैक्सिको, ऑरियेन्टल, स्पेन, पुर्तगाल, अरब, ग्रेट ब्रिटेन, स्कैडिनेवियाई की पाक—कला से संदर्भित उपकरण,
29. मानक रेसिपी, मानक प्राप्ति, मानक भाग का आकार,

ख—खाद्य एवं पेय सेवा

कुल प्रश्न—20

अधिकतम अंक—20

1. खाद्य एवं पेय उद्योग का परिचय,
2. खाद्य एवं पेय के विभिन्न विभाग एवं सहायक विभाग,
3. खाद्य एवं पेय सेवा विभाग में कर्मचारियों का संगठन एवं अनुक्रम,
4. खाद्य एवं पेय सेवा विभाग के विभिन्न उपकरण,
5. खाद्य सेवा के प्रकार।
6. सेवा की तैयारी: Mise-en-place, Mise-en-scene, सेवा के प्रारम्भ, सेवा के दौरान एवं सेवा की समाप्ति के कर्तव्य, मेजों के बिछावन की व्यवस्था तथा साइड बोर्ड की व्यवस्था,
7. मदिरा रहित पेय: परिचय, वर्गीकरण उदाहरण सहित (चाय, कॉफी, कोको, सिरप, स्ववैश, जूस, बुलबुले(Aerated) वाले पेय, खनिज युक्त जल एवं प्राकृतिक जल,
8. व्यंजन सूची (मेन्यू) की योजना: व्यंजन सूची (मेन्यू) का उद्गम, व्यंजन सूची (मेन्यू) योजना का उद्देश्य, व्यंजन सूची (मेन्यू) बनाते वक्त ध्यान में रखने वाले कारक, विभिन्न प्रकार की व्यंजन सूची, French classical menu courses, प्रत्येक कोर्स का कवर, संगत, आहार के प्रकार,
9. कक्षीय सेवा: परिचय, स्टाफिंग, आदेश लेना, आदेश को क्रमित करना, आदेश का निर्वहन, सुख—सुविधाएं प्रदान करना, सेवा का क्रम, लीड टाइम, फार्म एवं फॉरमेट
10. मदिरा पेय : मदिरा का परिचय, वर्गीकरण तथा उत्पादन (किण्वन प्रक्रिया एवं आसवन प्रक्रिया)

वाईन (पुराने विश्व देशों की वाईन एवं नये विश्व देशों की वाईन), वर्गीकरण, उत्पादक, क्षेत्र एवं अंगूर की विविधता एवं ब्रांड नाम

स्पिरिट: परिचय, सामग्रियां, विस्की का उत्पादन, रम, जिन, ब्रान्डी, वोदका, टकीला, प्रचलित ब्रांड

बियर: परिचय, सामग्रियां, बियर के प्रकार, बियर का उत्पादन, भण्डारण और प्रचलित ब्रांड कॉकटेल्स एवं मिश्रित पेय, प्रचलित कॉकटेल बनाने की रेसिपी उनकों बनाने विधि एवं सेवा

बार, बार के प्रकार, बार के भाग, बार के उपकरण।

11. आयोजन कैटरिंग— बैंकवेट (औपचारिक एवं अनौपचारिक) बैंकवेट मसविदा, Buffet के प्रकार, टोस्ट एवं टोस्ट प्रक्रिया।
12. लागत नियन्त्रण— लागत नियन्त्रण का परिचय, उद्देश्य एवं लाभ, खाद्य लागत, लागत के तत्व, कीमत निर्धारण की विभिन्न विधियाँ।
13. खाद्य लागत क्रमः क्रय, प्राप्ति, भण्डारण तथा निर्गम,
14. इन्वेन्ट्री नियन्त्रणः महत्व, उद्देश्य, पद्धति, स्तर, एवं तकनीक, मासिक इन्वेन्ट्री, भौतिक इन्वेन्ट्री, प्रीपेजुअल इन्वेन्ट्री
15. बजटीय नियन्त्रण— उद्देश्य, बजट के प्रकार, बजटीय नियन्त्रण।
16. रेस्तरां योजना, जगह (space), रेस्तरां ले आउट, डिजाइन, व्यंजन सूची, व्यंजन सूची व्यापार, व्यंजन सूची अभियंत्रण S.W.O.T. (एस.डब्लू.ओ.टी.) विश्लेषण ब्रेक इवन विश्लेषण, प्रोजेक्ट योजना,
17. रसोई स्टूयूवर्डिंग, महत्ता, सफाई व पॉलिश करने के उपकरण।

ग—कमरा प्रभाग प्रबंधन

कुल प्रश्न—15

अधिकतम अंक—15

1. आतिथ्य उद्योग का परिचयः आतिथ्य एवं उसका उद्गम, पर्यटन एवं होटल उद्योग का विकास, विश्व के प्रमुख होटलों का परिचय, भारतीय प्रमुख होटलों का परिचय, भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका मुख्यतः होटल उद्योग के परिप्रेक्ष्य में
2. होटल का वर्गीकरणः आकार, स्थान, सुविधाएं, अतिथि प्रकार, ठहरने का समय, मालिकाना हक के आधार पर, मानदंड और मानक के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के कमरे,
3. फंट ऑफिस और गृह व्यवस्था के विभिन्न आयाम, कर्मचारी पदानुक्रम और उनका उत्तरदायित्व।
4. टैरिफ ढांचा, संरचना और विभिन्न प्रकार की आहार योजनाएं
5. अतिथि सेवा क्रम, आरक्षण पंजीकरण, चेक आउट की प्रक्रिया
6. फंट ऑफिस का लेखा—जोखा, लेखाकांन एवं नाइट आडिटिंग
7. फंट ऑफिस और गृह व्यवस्था में कम्प्यूटर का योगदान तथा विभिन्न प्रकार के होटल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल,
8. फंट ऑफिसः अतिथि बचाव सुरक्षा एवं यील्ड प्रबंधन,
9. सफाई संगठनः सफाई के सिद्धांत और सफाई व्यवस्थित करने की विधि, उपकरणों का प्रयोग और देखभाल,
10. अतिथि कक्ष तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सफाई,
11. गृह व्यवस्था इन्वेन्टरीः उपकरण, सफाई करने के साधक, आपूर्ति, लिनेन एवं यूनीफार्म
12. सफाई करने के साधकः विभिन्न प्रकार के सफाई करने के साधक, चयन का मानदण्ड, पॉलिश, फ्लोर सील, उपयोग, देखभाल एवं भण्डारण

13. विभिन्न सतहों की रचना, देखभाल और सफाई— धातु, कांच, चर्म, रेक्सीन, प्लास्टिक, सेरेमिक, लकड़ी, दीवार फिनिश, फर्श फिनिश
14. लिनेन: लिनेन कक्ष की गतिविधियां, उपकरण, लिनेन तथा फैब्रिक को चयन करने के मानदण्ड, लिनेन तथा फैब्रिक की खरीददारी, लिनेन नियंत्रण की विधि, स्टॉक टेकिंग, लिनेन की आपूर्ति,
15. लॉन्ड्री: व्यावसायिक एवं ऑन प्रीमाइसेस लॉन्ड्री, धोने के चक्र के चरण, लॉन्ड्री उपकरण, लॉन्ड्री के साधक, ड्राई विलनिंग, वेले सेवा, दाग धब्बे मिटाना,
16. पुष्प विन्यास—, उपकरण, पुष्प विन्यास के लिए जरूरी सामग्री, पौधों की कन्डीशनिंग, पुष्प विन्यास के विभिन्न प्रकार एवं शैलियां, पुष्प विन्यास पर लागू डिजाइन के सिद्धान्त
17. आन्तरिक सजावट: डिजाइन के तत्व, रंग एवं सजावट में रंगों की भूमिका, विभिन्न प्रकार के रंगों की स्कीम,
18. विभिन्न प्रकार के फर्श, दीवार और छत आवरण,
19. लाइटिंग एवं लाइटिंग फीक्सचर्स विभिन्न प्रकार की लाईटें
20. प्राथमिक उपचार, खोया एवं पाया प्रक्रिया,

घ—होटल लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन

कुल प्रश्न—15

अधिकतम अंक—15

1. लेखांकन (लेखा—जोखा) का परिचय— अर्थ एवं परिभाषा, वर्गीकरण, लेखांकन के सिद्धान्त, लेखांकन प्रणालियाँ,
2. प्राइमरी बुक, सेकेण्डरी बुक, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल एकाउंटस्
3. वित्तीय प्रबन्धन: अर्थ एवं महत्ता
4. वित्तीय विवरण आकलन: अर्थ , विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरण, वित्तीय आकलन की तकनीक
5. अनुपात विश्लेषण: अर्थ, वर्गीकरण, गुण और अवगुण, लाभ प्रदत्ता, अनुपात कारोबार अनुपात तथा वित्तीय अनुपात।
6. निधि प्रवाह आकलन: निधि प्रवाह विवरण का अर्थ , निधि प्रवाह विवरण का प्रयोग, निधि प्रवाह को बनाना ।
7. नकदी प्रवाह आकलन: अर्थ, गुण एवं अवगुण, नकदी प्रवाह विवरण को बनाना, सी.ई.पी.एस- (C.E.P.S.)
8. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेण्ट: अर्थ, कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को बताने वाले कारक, पूँजी संरचना के सिद्धान्त, अति पूँजीकरण और अल्प पूँजीकरण।
9. पूँजी बजट: पूँजी बजट की महत्ता, पूँजी बजट के मूल्यांकन के तरीके, ऋण वापसी की अवधि, वापसी की ओसत अवधि दर, शुद्ध वर्तमान मूल्य, लाभ प्रदत्ता सूचकांक, आन्तरिक वसूली दर।

ड़—पोषण, स्वच्छता और खान—पान विज्ञान

कुल प्रश्न—15

अधिकतम अंक—15

1. सूक्ष्मजीव विज्ञान का परिचय— सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण (फंगी, जीवाणु, खमीर, मोल्ड) खाद्य जनित बीमारियां
2. खाद्य अपमिश्रण एवं खाद्य योजक
3. भोजन का खराब होना: मांस, मछली, अंडे, सब्जियां, फल एवं दुग्ध उत्पाद
4. पोषण का परिचय: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज पदार्थ एवं लवण
5. भोजन सेवन को प्रभावित करने वाले कारक: खाने की आदत, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, स्वभाव एवं सामाजिक
6. खाद्य समूह: ऊर्जा के आहर स्त्रोत, संतुलित आहार, आर०डी०ए०, विशेष आहार(मधुमेह, रक्तचाप)
7. F.S.S.A.I. का परिचय,
8. स्वच्छता एवं सेनिटेशन का परिचय: व्यक्तिगत स्वच्छता की प्रथाएं एवं कार्य क्षेत्र की स्वच्छता की प्रथाएं, उत्पादन और सेवा वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्लीनर्स और सेनिटाइजर्स के प्रयोग,
9. सफाई की विभिन्न विधियां : रसोई के परिसर की डिजाइन एवं उपकरण, सफाई एवं कीटाणुशोधन, मानवीय एवं स्वचालित बर्टन धोना
10. खाद्य हैन्डलिंग : स्वच्छ खाद्य हैन्डलिंग, भारी जोखिम खाद्य पदार्थ, संदूषण रोकथाम, पार संदूषण, खतरे का क्षेत्र, तापमान नियंत्रण, खाद्य स्वच्छता विनियमन, उत्पादन एवं बाह्य उठावन के क्षेत्र में खाद्य कचरा व कचरे का निपटारण,
11. विभिन्न प्रकार के फ्रीज़र्स,

च—पर्यटन, होटल और कैटरिंग प्रबंधन

कुल प्रश्न—15

अधिकतम अंक—15

1. पर्यटन की संकल्पना: पर्यटक की परिभाषा एवं अर्थ, यात्री, आगतुंक, एक्सकर्सनिष्ट, ट्रान्जिट आगतुंक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, घरेलू पर्यटक, विभिन्न प्रकार के पर्यटक, पर्यटकों की प्रेरणा का वर्गीकरण,
2. आतिथ्य एवं पर्यटन संगठन: W.T.O., F.H.R.A.I., I.H. & R.A., I.A.T.A., P.A.T.A., D.O.T., यात्रा व्यवसाय में ऑनलाइन की भूमिका
3. उभरते पर्यटन के चलन: पर्यावरणीय पर्यटन, हरित पर्यटन, वैकल्पिक पर्यटन, विरासतीय पर्यटन, सतत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सकीय पर्यटन, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन,
4. सम्प्रेषण: सम्प्रेषण के तरीके, सम्प्रेषण में बाधाएं, औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्प्रेषण
5. प्रेरणा: संगठन में कर्मचारियों को प्रेरित करने के सिद्धांत एवं प्रथाएं

6. नेतृत्व: नेतृत्व के गुण, नेतृत्व की भूमिका, सिद्धांत एवं शैली
7. मानवीय व्यवहार के विभिन्न रूप: व्यक्तिगत, समूह, विवाद
8. गुणवत्ता नियंत्रण का अर्थ, टी. क्यू.एम. एवं टी. क्यू.एम के तीन पहलू
9. विपणन: परिचय, विपणन की संकल्पना, विपणन के प्रकार तथा इसके मॉडल आतिथ्य सेवाओं से ग्राहक की अपेक्षाएं, विपणन के सात P's, बाजारीय खण्डकरण लक्ष्य एवं स्थिति निर्धारण,
10. संगठन व्यवहार एवं उसकी महत्ता,
11. बचाव एवं सुरक्षा प्रणाली (अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपात प्रणाली, सुरक्षा जाँच, अलार्म प्रणाली)

भाग—2

सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता, और उत्तराखण्ड से संबंधित सामान्य ज्ञान

कुल प्रश्न—50

अधिकतम अंक—50

क—सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न—10

अधिकतम अंक—10

समसामयिक महत्व की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेलों और मनोरंजन की वर्तमान घटनाएं, भारतीय इतिहास और स्वाधीनता संग्राम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय राजव्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था—कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण।

ख—उत्तराखण्ड से सम्बंधित सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न—20

अधिकतम अंक—20

- (a) उत्तराखण्ड का भौगोलिक व्यक्तित्व
- (b) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,
- (c) पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का सम्बन्धः सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में।
- (d) उत्तराखण्ड की वनस्पति एवं जीव
- (e) साहसिक पर्यटन के गंतव्य, रिवर रॉफिटग, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्यों, उत्तराखण्ड में वन्य जीव पर्यटन।
- (f) उत्तराखण्ड के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल
- (g) उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण स्मारक, संग्रहालय एवं ऐतिहासिक स्थल।
- (h) उत्तराखण्ड के मेले, त्यौहार, लोक नृत्य तथा धार्मिक जुलूस

- (i) गढ़वाली एवं कुमांऊनी व्यंजन एवं पाक—कला
- (j) उत्तराखण्ड के पर्यटन विकास के लिए संगठन और नीतियां।
- (k) वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों का आगमन प्रचलन तथा विकास की संभावना।
- (l) प्रसिद्ध पर्यटक स्थल (आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में)

ग – सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा

कुल प्रश्न – 20

अधिकतम अंक – 20

सामान्य बुद्धिमत्ता :— सामान्य बुद्धिमत्ता के पाठ्यक्रम में सादृश्य, साइलोजिस्म, समरूपता, भिन्नता, अप्राप्त संख्या, संप्रतीक और अनुक्रम, अंतराल चित्रण, समस्या निवारण, विश्लेषण, न्याय, निर्णय करना, विजुअल मैमोरी, विभेदन, निरूपण, संबंध अवधारणाएं, दिशा बोध, कूट—कूटवाचन, अंकगणितीय तर्क—वितर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, आंकड़ा निरूपण और विश्लेषण, मूल अंकगणित, ज्यामिती, क्षेत्रमिति (क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप) (हाईस्कूल स्तर) मौखिक, गैर—मौखिक और विश्लेषणात्मक सहित प्रश्न होंगे। परीक्षा में अमूर्त धारणाओं, तथ्यों और आंकड़ों, चिह्नों और उनकी सादृश्यता, अंकगणितीय व संख्यात्मक संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय और मात्रात्मक प्रकार्य से निबटने की उम्मीदवार की योग्यता परखने के लिए बनाए गए प्रश्न भी शामिल होंगे।

Syllabus for Aptitude/Competitive Examination (Objective Type) for the Direct Recruitment of Vyavasthapak (Group 'C') in Uttarakhand Public Service Commission

Hotel Management & Catering Technology/Hospitality & Hotel Administration and General Studies

Total Questions: 150

M.M: 150

Time Allowed: 2 Hours

Part-1

Hotel Management and Catering Technology/ Hospitality & Hotel Administration

Number of Questions: 100

Maximum Marks: 100

A – Food Production

Number of Questions: 20

Maximum Marks: 20

1. Introduction to cookery, Culinary History.
2. Classical and Modern hierarchy of kitchen.
3. Aims and objectives of cooking food.
4. HACCP – practices in Food handling and storage.
5. Fuels used in catering industry, different types of equipment used in kitchen and their care and maintenance.
6. Different methods of cooking.
7. Different types of stocks, soups and garnishes.
8. Mother sauces and their derivatives.
9. Food commodities: milk, cream, cheese, butter, sugar, salt, fat and oils, herbs and spices, pulses, rice, raising agents and thickening agents.
10. Salad and sandwiches: its composition, types of dressing, types of sandwiches.
11. Vegetables and fruit cookery; Classification, pigments, colour changes, cuts of vegetables, uses of fruits in cookery.
12. Egg cookery: Introduction to egg cookery, structure of egg, selection of egg, uses of egg in cookery
13. Meat cookery: Cuts of lamb/Mutton, cuts of chicken, offals, uses in cookery.

- 14.** Fish cookery: Classification of fish, cuts of fish, selection of fish and shell fish, cooking of fish.
- 15.** Kitchen planning: Layout and Design of kitchen.
- 16.** Introduction to bakery: Principles of bakery, equipments used in bakery, different ingredients used in bakery.
- 17.** Bread, cookies, Biscuits, Cake and pastries: Different methods of making, raw material required, faults and their remedies, diseases in bread.
- 18.** Icing and Toppings.
- 19.** Menu Planning for different types of organizations.
- 20.** Introduction to Indian cookery: spices used, blending of spices, different types of gravies, Indian marinades and paste.
- 21.** Regional Indian Cuisine: Heritage of Indian Cuisine, factor affecting eating habits, geographical locations, historical backgrounds, seasonal availability, special equipments, staple diet, specialty menus for festivals and special occasions.
States: Kashmir, Punjab, Rajasthan, Gujrat, Andhra Pradesh, Bengal, Goa, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, Uttarakhand, North Eastern states.
- 22.** Indian breads, snacks and sweets.
- 23.** Quantity food production: equipments required for quantity kitchen, care and maintenance, principles of planning for quantity food production, indenting.
- 24.** Volume feeding: Institutional, Industrial, Hospital and mobile catering.
- 25.** Meaning of sausages, ham, bacon, gamon, galantine, force meat, pate, mousse and mousseline-chaudfroid, aspic, gelee, quenelles, parfaits, roulades
- 26.** Appetizers and garnishes: Classification of appetizers, different types of garnishes and their importance.
- 27.** Frozen desserts, meringues, chocolates.
- 28.** International Cuisines: Staple food with regional influence, specialties, recipes, equipments in relation to- French, Chinese, Italian, Mexican, Oriental, Spanish, Portuguese, Arabic, Great Britain, Scandinavian Cuisine.
- 29.** Standard recipe, standard yield, standard portion size.

B- Food and Beverage Service

Number of Question: 20

Maximum Marks:20

- 1.** Introduction to Food and Beverage industry.
- 2.** Food and Beverage outlets and ancillary areas.
- 3.** Organization and staffing of food and beverage service department.
- 4.** Food and beverage service equipments.
- 5.** Types of food service.
- 6.** Preparation of service- Mise-en-place, Mise-en-scene, opening, operating and closing duties, Table layout, layout of covers, setting up of side-board.
- 7.** Non alcoholic beverages- Introduction, classification with examples (Tea, coffee, cocoa, syrups, squashes, juices, aerated drinks, mineral and natural water).
- 8.** Menu planning- origin of menu, objective of menu planning, factors to be considered while planning a menu, types of menu, courses of French Classical menu, cover of each course, accompaniments, types of meals.
- 9.** Room service- Introduction, staffing, order taking, routing the order, delivering the order, providing amenities, sequence of service, lead time, forms and formats.
- 10.** Alcoholic beverages- Introduction, classification, production of alcohol (Fermentation process, distillation process)
Wines (Old world wines and new world wines)- classification, production, regions, grape varieties, brand names.
Spirits- Introduction, Ingredients, Production of Whisky, Rum, Gin, Brandy, Vodka, Tequila, popular brands.
Beer- Introduction, ingredients, types of beer, production of beer, storage, popular brands.
Cocktails and Mixed drinks- Popular cocktails recipe and their preparation and service.
Bar- Types of bar, parts of bar, Bar equipments.
- 11.** Function Catering- Banquets (Formal and informal), Banquet protocol, types of Buffet, Toast and toast procedures.
- 12.** Cost Control-Introduction to cost control, objectives and advantages, food costing, elements of cost, various pricing methods.
- 13.** Food control cycle- purchasing, receiving, storing and issuing.
- 14.** Inventory control- Importance, objectives, methods, level and techniques, monthly inventory, physical inventory, perpetual inventory.
- 15.** Budgetary control- Objectives, types of budget, Budgetary control.

- 16.** Restaurant planning, space, layout, Design, Menu, Menu merchandising, menu engineering, Swot Analysis, break even analysis, project planning.
- 17.** Kitchen Stewarding- importance, machine used for cleaning and polishing.

C- Room Division Management

Number of Question: 15

Maximum Marks: 15

- 1.** Introduction to Hospitality industry- Hospitality and its origin, evolution of tourism and hotel industry, introduction to world leading hotel brands, introduction to Indian leading hotel brands, role of tourism industry in Indian Economy with special reference to hotel industry.
- 2.** Classification of hotels- On the basis of size, location, facilities, type of guest, length of stay, ownership basis, norms and standards for classification, types of rooms.
- 3.** Different sections of front office and housekeeping, their staffing and duties and responsibilities.
- 4.** Room tariff, structure and different meal plans.
- 5.** Guest cycle, reservation, registration, check out procedure.
- 6.** Front office accounting and Night Auditing.
- 7.** Computer applications in front office and housekeeping along with various software used.
- 8.** Front office: Guest safety and security, Yield management.
- 9.** Cleaning organization- Principles of cleaning, methods of cleaning, frequency of cleaning, care of maintenance of equipments.
- 10.** Cleaning of guest rooms and public area.
- 11.** Housekeeping inventories- equipments, cleaning agents, supplies, linen and uniform.
- 12.** Cleaning agents- types of cleaning agents, criteria for selection, polishes, floor seals, use, care and storage.
- 13.** Composition, care and cleaning of different surfaces- metal, glass, leather, Rexene, plastic, ceramic, wood, wall finishes, floor finishes.
- 14.** Linen- activities of linen room, equipments, selection criteria for linen items and fabrics, purchase of linen & fabric, linen control procedure, stock taking, linen supply.
- 15.** Laundry- commercial and on-premises laundry, stages in wash cycle, laundry equipments, laundry agents, dry cleaning, valet service, stain removal.
- 16.** Flower arrangement- equipment and material require for flower arrangements, conditioning of plant material, various styles and types of flower arrangements, principles of design applied to flower arrangement.

17. Interior decoration- elements of design, colour and its role in décor, types of colour schemes.
18. Different types of floor coverings, wall coverings and ceilings.
19. Lighting and lighting fixtures, types of lighting.
20. First aid, lost and found procedure.

D- Hotel Accounts and Financial Management

Number of Questions: 15

Maximum Marks: 15

1. Introduction to Accounting: Meaning & Definition, types and classification, Principles of Accounting, systems of Accounting.
2. Primary books, Secondary books, Subsidiary books, cash book, Trial balance, Final Accounts.
3. Financial Management: Meaning & scope
4. Financial Statement Analysis: Meaning, types of financial statements, techniques of financial Analysis.
5. Ratio Analysis: Meaning of Ratio, Classification of Ratios, Merits and Demerits of Ratios, Profitability Ratios, Turnover Ratios and Financial Ratios.
6. Fund Flow Analysis: Meaning of Fund flow statement, uses of Fund flow statement, preparation of Fund flow statement.
7. Cash Flow Analysis: Meaning of cash flow statement, Merits and Demerits of cash flow, preparation of cash flow statement, CEPS (Cash Earnings per Share).
8. Working Capital Management: Meaning of working capital, Factors determining working capital needs, capital structure theory, over capitalization and under capitalization.
9. Capital Budgeting: Importance of capital budgeting, capital budgeting appraising methods, payback period, Average rate of return, Net present Value, Profitability Index, Internal rate of return.

E- Nutrition, Hygiene and Food Science

Number of Questions: 15

Maximum Marks: 15

1. Introduction to Microbiology: classification of Microbes (Fungi, bacteria, yeast, Mold), Food Borne diseases.
2. Food Adulteration and Food Additives.
3. Food Spoilage: Meat, Fish, Egg, Vegetables, Fruits & Dairy products.
4. Introduction to Nutrition: Carbohydrates, Proteins, Fats, Vitamins, Minerals and Salts.

5. Factors Affecting Food Intake: Food habits, Physiological, Psychological, Environmental, Behavioral, social.
6. Food groups: Dietary source of energy, Balanced diet, RDA, Special Diets (Diabetics, Blood pressure)
7. Introduction to FSSAI.
8. Introduction to Hygiene and Sanitation: Practices of personal hygiene, work area hygiene. Use of cleaners and sanitizers in maintaining safe production and service Environment.
9. Cleaning Methods: Design of premises and equipment in kitchen. Cleaning and Disinfection- Manual and Automatic Dish washing.
10. Food Handling: Hygienic food handling, High risk foods, preventing contamination, cross contamination, Danger Zone, Temperature control, Food hygiene regulations. Disposable of food waste and garbage in production areas and External pick-up areas.
11. Types of Freezers.

F- Tourism, Hotel and Catering Management

Number of Questions: 15

Maximum Marks: 15

1. Concept of Tourism: Definition and Meaning of Tourist, Traveler, Visitor, Excursionist, Transit visitor, International Tourist, Domestic Tourist, Typologies of Tourist, Classification of Tourist Motivation.
2. Hospitality & Tourism Organizations: WTO, FHRAI, IH&RA, IATA, PATA, DOT, Role of online travel business.
3. Emerging Tourism Trends: Eco-tourism, Green Tourism, Alternate Tourism, Heritage Tourism, Sustainable Tourism, cultural Tourism. Medical Tourism, Wellness Tourism.
4. Communication: Mode of communication, Barriers in communication, Formal & Informal communication.
5. Motivation: Theories and practices of motivating people in organizations.
6. Leadership: Qualities of leader, role of leader, Theories & styles.
7. Different types of Human Behavior: Individual, Group, conflict.
8. Meaning of Quality control, TQM, Three aspects TQM.
9. Marketing: Introduction, concepts of Marketing, Types of Marketing & its models, Customer expectations from Hospitality services, Seven P's of Marketing, Market segmentation, Targeting and Positioning.
10. Organization behavior and its importance.
11. Safety and Security Systems (Fire safety system, Emergency systems, Security checks, Alarm System).

PART 2

General Studies, General Intelligence, and General Knowledge related to Uttarakhand

Number of Questions: 50

Maximum Marks:50

A.General Studies

Number of Question: 10

Maximum Marks: 10

Current events of National and International importance, sports and entertainment, Indian history and Freedom Struggle, Science, and Technology, Indian polity, Indian and world geography and natural resources Indian economy-agriculture, trade and economy, Population, environment and urbanization in Indian context.

B.General studies related to Uttarakhand

Number of Question: 20

Maximum Marks: 20

- a) Geographic personality of Uttarakhand.
- b) Historic perspective.
- c) Socio-cultural and economic perspective in relation to Tourism and Hospitality industry.
- d) Flora & Fauna of Uttarakhand.
- e) Destination for adventure tourism, river rafting, National parks, Sanctuaries and wild life tourism of Uttarakhand.
- f) Religious and spiritual destinations of Uttarakhand.
- g) Important monuments, museums and Historical sites.
- h) Fairs, Festivals, Folk dances and religious processions.
- i) Garhwali and Kumauni Cuisine.
- j) Organization, Policies for the development of tourism in state.
- k) Prevailing International and domestic tourist traffic, trends and Growth prospects.
- l) Famous tourist destinations (economics, cultural and social perspectives)

C. General Intelligence Test

Number of questions: 20

Maximum Marks: 20

General Intelligence: The syllabus for general intelligence would include questions of verbal, non-verbal and analytical types including questions on analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding-decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, basic arithmetic, Geometry and mensurations (area, volume, perimeter) (high school level). The test would also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationship, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

परिशिष्ट-6

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील

..... नगर जिला उत्तराखण्ड की जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा अथवा उनका

परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला

..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
.....नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की

पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या—22 / 16 / 92—का—2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम

..... तहसील नगर जिला में सामान्यतया
रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला

मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
..सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम तहसील
..... नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप
से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड
राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी(आश्रित)
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त
श्री/ श्रीमती/ (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्नोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से है
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो